न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्या :— 95/2024
जीसीएमएस नंबर :— 2024/307
वादी—

मोहनलाल पुत्र स्व. श्री नत्थूराम जी जाति माली, उम्र 72 वर्ष निवासी गांव चौखा तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण—

1. जयसिंह सोलंकी पुत्र श्री मांगीलाल जी जाति माली, निवासी गांव चौखा सोलंकियानों का बास तह. व जिला जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

—::निर्णय::— दिनांकः—

अधिवक्तागणः—

1. प्रतिवादी/प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी उपस्थित।
2. वादीगण/अप्रार्थी की और से अधिवक्तागण श्री रामसुख शर्मा, राकेश शर्मा चौधरी उपस्थित।

वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय में पेश कर श्रीमान् न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 42/2015 में पारित आदेश के अनुसरण में तैयार किये गये मौका फर्द एवं नाप रिपोर्ट को निरस्त करने की घोषणा एवं वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त आदेश एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री कर वादी की खसरा सं. 469 एवं 471 की कृष भूमि जो गांव मोकलावास में उसके साथ नाप व सीमा को लेकर छेड़छाड़ नहीं करने एवं वादी को उसकी जमीन के उपयोग उपभोग में कोई बाधा नहीं करने एवं मौके एव रेकर्ड की यथास्थिति की इस्तदुआ चाही है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किए गए। बाद नोटिस तामील प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश करते हुए हस्तगत वाद में जवाब दावा मय प्रारंभिक आपत्तियां एवं एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एक दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 42/2015 में पारित आदेश के अनुसरण में तैयार किये गये मौका फर्द एवं नाप रिपोर्ट को निरस्त करने की घोषणा की जावे। जबकि श्रीमान् न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि श्रीमान् अतिरिक्त सभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा राजस्व अपील

संख्या 246/2021, 85/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2023 से हो चुकी है तथा राजस्व निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है फिर भी वादी द्वारा उक्त वाद के माध्यम से श्रीमान् न्यायालय से घोषणा का अनुतोष चाहा है जो विधि द्वारा वर्जित है। किसी दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सिविल व्यायालय को ही है। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 42/2015 बअनवान जयसिंह सोलंकी बनाम राजस्थान सरकार इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 470 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मोकलावास तहसील व जिला जोधपुर सीमाकंन एवं माप करवाकर पत्थरगढी का आदेश फरमावे । उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2019 को निस्तारित किया गया उससे पूर्व इस प्रकरण में श्रीमान् न्यायालय द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट पटवारी रोहिला कल्ला व राजस्व निरीक्षक से जरिये तहसीलदार जोधपुर तलब की गई जिस पर श्रीमान् तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.11.2017 को पटवारी रोहिला कला व भू–प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर को आदेशित किया जिस पर पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.12.2017 को मौका फर्द रिपोर्ट तेयार की गई, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 470 की जमीन का काफी हिस्सा खसरा नम्बर 471 व 469 में आ रहा था उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 27.06.2019 को इस आशय का आदेश पारित किया कि ''हमने प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट, राजस्व अभिलेख, राजस्व नक्शा का अध्ययन कर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार प्रार्थी सहखातेदार काश्तकार है तहसीलदार जोधपुर एवं भू प्रबन्ध अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा किये गये सीमांकन अनुसार व मौका फर्द में दर्शाये गये निशानात अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 470 की माठे मौके पर मौजूद नहीं होकर पडौसी खसरों में सम्मलित हो रखी है। तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत फर्द प्रस्तुत जिसमें दर्शाया है कि बिन्दु संख्या जे. एच. आई. के वर्तमान मौका है बिन्दु संख्या जेजी ई के आई एच खसरा संख्या 470 का भाग है तथा बिन्दु संख्या आई एच जे वर्तमान मौके की माठ है बिन्दु संख्या के इ जी जे गत नक्शा की माठ है तथा नक्शे की माठ तथा मौके की स्थिति एम एल पी है। इस प्रकार नक्शे एवं मौके की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन है ऐसी स्थिति में एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मौका फर्द में दर्शाये नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 470 की सीमा नक्शे में तय नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि मौका फर्द व दर्शाये गये नक्शे के अनुसार मौके पर माठे कायम कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है।'' उक्त आदेश के अनुसरण में पुनः दिनांक 08.04.2021 को तहसीलदार जोधपुर, निरीक्षक भू अभिलेख, पटवारी, वादी मोहनलाल, प्रतिवादी जयसिंह की उपस्थिति में राजस्व कर्मचारी मौके पर पहुचे तो वादीगण द्वारा राजस्व कर्मचारीयों की टीम के साथ अनुचित व्यवहार किया गया जिस पर राजस्व कर्मचारियो द्वारा सीमाकंन् कार्यवाही को न्यायहित में रोकने के लिये बाध्य होना पडा तथा दिनांक 28.04.2021 को सीमाकन कार्यवाही करने हेतु उपस्थिति पक्षकारान को सूचित किया। इसके पश्चात् दिनांक 28.04.2021 को जवाबदाता प्रतिवादी मौके पर उपस्थित हुआ लेकिन वादी तत्समय मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 08.07.2021 को पुनः नायब तहसीलदार जोधपुर, निरीक्षक भू अभिलेख एवं पटवारी रोहिला कलां तथा वादी एवं प्रतिवादी मौके पर उपस्थित हुए लेकिन मौके पर कपास की फसल खडी होने के कारण कार्यवाही नहीं हुई तथा कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके पश्चात् वादी राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 42/2015 में बतौर

अप्रार्थीगण अन्य अप्रार्थीगण के साथ पक्षकार संयोजित किया गया तथा श्रीमान् न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 19.02.2021 को प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 470 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम मोकलावास के सर्वप्रथम पक्षकारों को सूचित करते हुए सभी पक्षकारो की मौजूदगी में आप स्वयं मौके पर जाकर खेत खसरा नम्बर 470 की भूमि के सीमाचिन्ह निर्धारित करने का आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिया गया तथा सीमाचिन्ह निर्धारित कर मुटाम किये जाने का आदेश भी पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना हेतु श्रीमान् तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.04.2022 को पुनः फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु राजस्व कर्मचारियो को आदेशित किया जिस पर पटवारी हल्का रोहिला कलां, नायब तहसीलदार जोधपुर, निरीक्षक भू–अभिलेख की उपस्थिति में दिनांक 29.04.2022 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अनुसार भी जवाबदाता प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 470 का भाग खसरा नम्बर 471 व 469 में मौजुद था। उक्त रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर के कार्यालय में तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत कर दी गई। इसी दरम्यिान श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध एक अपील अतिरिक्त डिविजनल कमिश्नर जोधपुर में प्रस्तुत की गई जिसे अशंतः स्वीकार करते हुए श्रीमान् डिवीजनल कमिश्नर द्वारा दिनांक 16.01.2020 को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया इस पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर द्वारा पत्रावली पुनः रिकार्ड पर लेकर पुनः सुनवाई की गई तथा श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2022 को इस आशय का आदेश पारित किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 470 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा ग्राम मोकलावास सर्वप्रथम पक्षकारो को सूचित करते हुए सभी पक्षकारो की मौजूदगी में आप स्वयं मौके पर जाकर मौजा मोकलावास तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 470 के भूमि की सेटलमेन्ट टीम द्वारा दिनांक 15.12.2017 की मौका रिपोट भू–प्रबन्ध निरीक्षक की सीमाकंन रिपोर्ट के अनुसार पत्थर गढी की जाकर मुटाम कायम किये जाने का आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में दिनांक 08.02.2023 को राजस्व कर्मचारियो की टीम मौके पर उपस्थित हुई लेकिन मौके पर गेंहु की फसल बोई हुई होने के कारण पत्थरगढी का कार्य सम्भव नहीं हुआ। तत्पश्चात् वादीगण द्वारा एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की श्रीमान् अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष राजस्व प्रकरण संख्या 42/2015 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2021 के विरूद्ध राजस्व अपील संख्या 246/2021 प्रस्तुत की एवं राजस्व प्रकरण संख्या 42/2015 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 के विरूद्ध राजस्व अपील संख्या 85/2023 प्रस्तुत की उक्त दोनों अपीले दिनांक 27.10.2023 को श्रीमान् अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा खारिज कर दी गई।श्रीमान् अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 246/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी संख्या 6180/2023 बअनवान मोहनलाल बनाम जयसिंह व अन्य राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें श्रीमान् राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 22.11.2023 को राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने का आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। इस तरह वादी द्वारा यह वाद केवल वाद की विविधता को बढाने के लिये एवं खसरा नम्बर 470 के

सीमांकन में बाधा उत्पन्न करने के लिये प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद रेसज्युडिकेटा की परिधि में आता है क्योकि राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 42/2015 में वर्तमान वादी एवं प्रतिवादी पक्षकारान थे तथा खसरा नम्बर 470 की भूमि का विवाद था। वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा अनुतोष के मद में श्रीमान् न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में किये गये नाप एवं रिपोर्ट को निरस्त करने की घोषणा चाही है जिसका पूर्व में श्रीमान् न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जा चुका है इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद खारिज किये जाने योग्य है एवं यह वाद धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम की परिधी नहीं आता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण सव्यय खारिज किये जाने के सादर आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया एवं अधिवक्ता वादी को प्रार्थना पत्र की नकल दिलवायी गयी । अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 02.04.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलवायी गयी, एवं जवाब शामिल मिशल किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या–1 के प्रार्थना पत्र की पद संख्या–1 में उल्लेखित यह तथ्य सही है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। प्रतिवादी संख्या–1 ने धारा 111 एवं 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्थान राज्य के विरूद्ध पेश किया जिसके प्रार्थना पत्र संख्या 42/2015 है, जिसमें केवल जमीन का नाप एवं सीमांकन करने की प्रार्थना की है। प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रार्थना पत्र में वादी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। राजस्व विविध प्रार्थना में माननीय न्यायालय ने दिनांक 15/12/2017 के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का नाप कर मौका रिपोर्ट पेश करने का आदेश तहसीलदार को दिया उस वक्त वादी प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं था। दिनांक 15/12/2017 को न्यायालय के समक्ष जमीन का नाप एवं मौका रिपोर्ट पेश हुई। माननीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को एकपक्षीय दिनांक 27/6/2019 का निस्तारण कर सीमा नाप एवं पत्थर गढी का आदेश दिया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष दिनांक 27/6/2019 के विरूद्ध वादी ने अपील पेश की तब अति. संभागीय आयुक्त महोदय ने माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 27.6.2019 को दिनांक 16.01.2020 को निरस्त कर दिया एवं आदेश दिया गया कि वादी को पक्षकार बनाकर नोटिस देकर जमीन का नाप एवं मौका रिपोर्ट मंगवाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाये तब इस आदेश से दिनांक 15.12.2017 का सीमा नाप एवं मौका रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 04.02.2020 को संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें वादी को अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया। इसके बाद दिनांक 19.02.2021 को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि अप्रार्थी पक्षकार को नोटिस देकर सूचित कर नाप एवं मौका रिपोर्ट तैयार करे, इससे पहले ही सारी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। दिनांक 29.04.2022 को जमीन का नाप किया गया परंतु राजस्व नक्शा पूरा फटा एवं टुकडों में होने से जमीन का नाप नहीं किया जा सका, मौका रिपोर्ट में नोट अंकित है की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दी गयी, माननीय. न्यायालय ने फिर दिनांक 18.11.2022 को प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर एकपक्षीय आदेश कर दिया इस प्रकार दिनांक 15.12.2017 एवं 29.04.

2022 का नाप एवं मौका रिपोर्ट वैध नहीं रही है। माननीय न्यायालय एवं अति. संभागीय आयुक्त महोदय की पालना आज तक नहीं हुई है। इस वजह से राजस्व विविध प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, राजस्व निगरानी राजस्व मण्डल में पेश है। वादी ने इस वाद से पूर्व माननीय न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश नहीं किया न ही कोई वाद विचाराधीन है इसलिये वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। राजस्व न्यायालय द्वारा जमीन का नाप एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया उस नाप एवं मौका रिपोर्ट राजस्व न्यायालय निरस्त करेगा सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र की पद संख्या 2 में उल्लेखित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सही बात तो यह है कि प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 भू राजस्व अधिनियम का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, दिनांक 15.12. 2017 को नाप एवं सीमांकन रिपोर्ट को माननीय अति. संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 29.04.2022 की नाप एवं सीमा की मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख कर दिया गया कि राजस्व नक्शाफटा एवं टुकडों–टुकडों में होने से नाप किया जाना संभव नहीं है. इससे यह साबित हो जाता है कि मौका का नाप अभी तक हुआ नहीं है मौके के नाप के बिना प्रार्थना पत्र को अंतिम निस्तारण नहीं किया जा सकता है। वादी को दिनांक 19.02.2021 को प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाया गया इससे यह साबित है कि दिनांक 19.02.2021 तक प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तांतरण नहीं हुआ, तहसीलदार ने दिनांक 11.04.2022 को सीमा निर्धारित करने हेतु मौका रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। दिनांक 29.04.2022 को जो सीमा एवं मौका रिपोर्ट तैयार की उसमें यह उल्लेख है कि राजस्व नक्शा फटा हुआ है एवं टुकडो टुकडों में होने से नाप किया जाना संभव नहीं है। दिनांक 29.04.2022 तक सीमा हेतु नाप एवं मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी। दिनांक 18.11.2022 को न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया कि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सेटलमेन्ट टीम से सीमांकन नाप करवाकर रिपोर्ट पेश करे, तहसीलदार के आदेश के बावजूद दिनांक 08.02.2023 तक मौका रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। कारण मौके पर फसल होने से नाप किया जाना संभव नहीं हो सका। इस प्रकार प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नही हुआ है। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र की पद संख्या 3 में लिखे तथ्य सही है, लेकिन इसके बावजूद मौके पर नाप नहीं हुआ तथा नाप के अभाव में प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण भी नहीं हो सका। प्रतिवादी का कोई दावा वादी के विरूद्ध न्यायालय में दावा निर्णय एवं डिक्री नहीं किया गया है इसलिये प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र कानूनी मेन्टेनेबल नहीं होने से काबिले निरस्ती के है। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र की पद संख्या 4 में लिखे तमाम तथ्य सही है, सत्यतता तो यह है कि प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने अंतिम निर्णय नहीं किया है, प्रार्थना पत्र अभी विचाराधीन है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच कोई दावा विचाराधीन नहीं है न ही कोई दावा निर्णय हुआ है इसलिये प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से काबिल निरस्ती के है इसलिये वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। सही बात तो यह है कि मौके पर जमीन का नाप ही नहीं हुआ एवं प्रतिवादी वादी की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। यह भी सत्य है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है। जो मौका रिपोर्ट तैयार की उसको न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है तथा नाप का भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में वादी अपना वाद पेश करने का अधिकार है जो वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। यह है कि प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र की पद संख्या 5 में लिखे तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सही बात तो यह है कि वादी एवं प्रतिवादी के बीच पूव में कोई दावा पेश नहीं हुआ है न ही दावा का निर्णय हुआ, प्रतिवादी

ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया उसका भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है इसलिये वादी का वाद विधि द्वारा बाधित नहीं है, वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध जो वाद पेश किया है उसमें पक्षकार तो एक ही है परंतु वाद का विषय वस्तु विवाद्यक एक नहीं है। विवाद्य वस्तु अलग है इसलिये वादी को वाद पेश करने का अधिकार है एवं वाद किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं वादी के वाद के तथ्य एवं विवाद्यक अलग है, जिसका पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं किया गया है, न्यायालय द्वारा जो नाप एवं मौका मंगवाई वो रिपोर्ट गलत एवं मौके के विपरीत है तो वादी उसे निरस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है एवं गलत एवं मौका विरोधी रिपोर्ट की पालना पर रोक लगाने का अधिकारी है, गलत मौका रिपोर्ट पर प्रतिवादी वादी की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, वादी से उसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोकने का कानूनीया अधिकारी हैं वादी का वाद धारा 88 एवं 188 राज. काश्तकारी अधिनियम की परिसीमा में आता है जो कानूनन मेन्टेनेबल है तथा किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। वादी के वाद पर रेसज्यूडिकेटा का नियम लागू नहीं होता है, प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र कानूनी मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11, सपठित 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की विपरित अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद विधि में विहित प्रावधानों के तहत वाद प्रस्तुत होना बताते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया । यह सही है कि धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार कभी भी वाद प्रस्तुत कर सकता है इसमें किसी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं है। किंतु यह आवश्यक है कि वाद लाने हेतु आया वादी को पर्याप्त वादकारण उत्पन्न हुआ हो। वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा ग्राम मोकलावास में स्थित भूमि खसरा नंबर 470, 469 व 471 की भूमि हेतु वादी व प्रतिवादी के पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त की मानते हुए वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में हुए नाप चोप को निरस्त करने व ग्राम मोकलवास की सरहद सीमा पर जो मुटाम है वहां से जमीन का नाप चोप करवाने व प्रतिवादीगण के विरुद्ध खसरा संख्या 469 व 471 की कृषि भूमि की नाप सीमा को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं करे, वादी के उपभोग, उपयोग में कोई बाधा, अड़चन उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा गया है परन्तु वादी द्वारा उक्त नाप चोप को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.11.2022 व न्यायालय माननीय संभागीय आयुक्त, के निर्णय दिनांक 23.10.2023 के विरुद्ध अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां निगरानी संख्या 6180/2023 बअनवान मोहनलाल बनाम जयसिंह व अन्य विचाराधीन है तथा वर्तमान में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने का आदेश भी जारी किया हुआ है। वादी द्वारा उक्त वाद श्रीमान् न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 42/2015 में पारित आदेश के अनुसरण में तैयार किये गये मौका फर्द एवं नाप रिपोर्ट को निरस्त करने की घोषणा हेतु किया गया है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि ग्राम मोकलवास के खसरा संख्या 469, 470, व 471 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि है एवं वर्तमान में कोई नया वाद कारण पैदा हुआ है। वादी द्वारा दौराने दावे की कार्यवाही के दौरान भी यह तथ्य प्रकट नहीं किए गए हैं। अतः वाद हेतुक होने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

जहां पर पूर्व में समान पक्षकारों के मध्य समान भूमियों को लेकर वाद का मैरिट पर निर्णय हो चुका हो तथा उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी आराजी भूमि को लेकर यदि पुःन वाद प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 11 सीपीसी के तहत विधि द्वारा बाधित है। अतः समान पक्षकारों के मध्य प्रत्यक्षतः व पर्याप्त रुप से उक्त आराजी भूमि का पूर्व में वर्तमान न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद हेतुक प्रकट नहीं होने तथा वर्तमान वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित होने पर वर्तमान न्यायालय द्वारा विचारण विधि सम्मत नहीं किये जाने प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर मूल वाद को नामंजूर किया जाता है।

प्रीतम कुमार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक ..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर